



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थानिक क्षेत्र (Institutional Area)

शहीद जीत सिंह मार्ग, Shaheed Jeet Singh Marg

नई दिल्ली / New Delhi – 110016

Website: www.kvsangathan.nic.in

SPEED POST

F. 11058-प्राथ.शि./2019/केविसं-मु./आर0पी0एस0/५०३२-३६

दिनांक – 04.12.2019

कार्यालय – आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्राथमिक अध्यापकों को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1 दिनांक 12.08.1987, 03.11.1987 एवं 06.02.1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ₹.9300-34800/- एवं ₹.4800/- के ग्रेड पे के साथ चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने प्राथ.शि. के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान पर 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हों तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हों। यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारण वश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि उनके द्वारा के०स०वि० को वापिस लौटाना होगी।

संबंधित प्राथ.शिक्षक का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू वित्तीय नियम—22 (I)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा। तदानुसार उनके पास विकल्प हैं—(1) नए वेतनमान में अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करवा लें। यदि संबंधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प लेता है तो उनका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनवेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post.) वेतन निर्धारण का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने के तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होंगा तथा इस संदर्भ में जो भी विकल्प प्राथ.शिक्षक द्वारा दिया जाएगा वह अंतिम होगा। संबंधित प्राथ.शिक्षकों के विवरण निम्नानुसार हैं—

प्राथमिक शिक्षक—₹.9300-34800/- एवं ग्रेड पे ₹.4800/-

क्र. सं.	वीयता छांक	प्राथमिक अध्यापक का नाम	के०वि० का नाम	प्राठशि० के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	प्राठशि० के पद पर वरिष्ठ वेतनमान तिथि	चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि
1	4981	सुश्री आर वायला MS RUTH VIOLA PRT	तिरुमलगिरी TIRUMALGIRI	24.08.1984	24.08.1996	24.08.2008
2	304	श्री विजय री देशपांडे SH VIJAY C DESHPANDE PRT- MUSIC	आर्मी एरिया पूर्णे ARMY AREA PUNE	01.04.1985	01.04.1997	15.01.2010*

वी. विजयालक्ष्मी
(वी विजयालक्ष्मी)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि प्रेषित -

- 1- संबंधित प्राथमिक शिक्षक, संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को सूचनार्थ ।
 - 2- उपायुक्त, के.वि.सं. संभागीय कार्यालय हैदराबाद एवं मुंबई को सूचनार्थ ।
 - 3- उपायुक्त (शैक्षिक एवं ईडीपी) को इस निवेदन के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को केम्बु 0सं0डि00 की वैड साइट में अप लोड करें ।-
 - 4- प्राचार्य, संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस निर्देश के साथ कि-
- क:- चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबंधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा टिकाड़ से जांच लिए जाएं । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी संबंधित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके ध्यनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हों । कोई भी वृद्धि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें ।
- ख - संबंधित शिक्षक से संलग्न प्रोफोर्म में वचनबंध - तीन प्रति- ले ली जाएं जिसकी एक प्राप्ति उसके सेवा-पुस्तिका, दूसरी प्रति उसके व्यक्तिगत-मिसिल तथा तीसरी प्रति संबंधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अप्रेषित की जाए ।
- ग-इस आदेश को प्रभावित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि (1) संबंधित शिक्षक के खिलाफ कोई सतर्कता मामला / विभागीय कार्रवाई लिबित ना हो और (2) संबंधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 06 वर्षों में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो ।
- झ-अन्य विवरण जैसे के वि का नाम, पदभार ग्रहण तिथि, वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाएं ।